1

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पत्र प्राप्ति की सं० 40
दिनांक 10/06/15
देहरादून

संख्या 203 /XXX(2)/30(32)2015

प्रेषक,

अतर सिंह ,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 08 जून,2015

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन/परीक्षा शुल्क लिये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक–42/ले0–2/(26)(शु0निर्धा0)/2015–16, दिनांक 30–04–2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन/परीक्षा शुल्क निर्धारण संबंधी शासनादेश संख्या–537/दिनांक 03–12–2014 (छायाप्रति संलग्न) में दी गई व्यवस्थानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः— 537 / XXX (2) / 2014

प्रेषक,

सी0एम0एस0बिष्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2— समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

3— समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग—2 देहरादून : दिनांक 03-12-2014

विषयः— राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने हेतु आवेदन / परीक्षा शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने के लिये आवेदन शुल्क /परीक्षा शुल्क न लिये जाने से सम्बन्धित निर्गत आदेश संख्या 548 / XXX (2) / 2012 / 55(35) / 2003 दिनांक 22 जून, 2012 को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्याधीन सेवाओं में (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) भर्ती के लिये अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु रूपये 100 /—प्रति आवेदन एवं अन्य वर्गो के अभ्यर्थियों हेतु रूपये 200 /— प्रति आवेदन परीक्षा शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— कृपया उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3— यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

संलग्न —यथोक्त

भवदीय,

(सी0एम0एस0बिष्ट)
सचिव

संख्या / XXX(2) / 2012 / 55(35)2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य स्थानिक आयुक्त , उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2— प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5— महानिदेशक , सूचना विभाग , उत्तराखण्ड देहरादून।
6— सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
7— अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8— सचिवालय, के समस्त अनुभाग।
9— प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार सिंह)
अनु सचिव